



# विधिक सेवा दिवस-2017



09-11-2017

विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

**विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य:**

- 1) निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
- 2) कानूनी साक्षरता फैलाना
- 3) लोक अदालतों का आयोजन करना
- 4) विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
- 5) अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

**निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं:**

- 1) महिला और बच्चे
- 2) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
- 3) औद्योगिक कामगार
- 4) बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित
- 5) विकलांग व्यक्ति
- 6) हिरासत में व्यक्ति
- 7) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है या जो आव सौभाग्य केन्द्र/राज्य सरकार अधिसूचित करती है
- 8) मांगव तस्करी या बेगार से पीड़ित

**निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।**

**निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं:**

- 1) राष्ट्रीय स्तर पर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
- 2) राज्य स्तर पर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
- 3) जिला स्तर पर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
- 4) उप मंडल/तहसील : उप मंडल/तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर
- 5) उच्च न्यायालय : उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर
- 6) उच्चतम न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा संस्था, प्रिंट ऑफिस (जिला न्यायालय परिसर/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में), लीगल सर्विसेस क्लिनिक अथवा Nalsa online portal <http://www.nalsa.gov.in/slams> या टोल फ्री नम्बर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

**National Legal Services Authority (NALSA)**

**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)**

12/11, जामनगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110011 वेबसाइट : [www.nalsa.gov.in](http://www.nalsa.gov.in)